कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-282 दिनांक:20/9/2002

विषयः- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 36.वीं दिनांक 12-9-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 36वीं दिनांक 12-9-2002 प्रात:/सायं 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

(1) भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 36वीं बैठक दिनांक 12-9-2002 में जोन सी-1 की निम्न वर्णित योजनाओं बाबत बैठक में विचार-विमर्श किया गया-

क.सं.	योजना का नाम	समिति का नाम
1.	नन्दगांव	भैरव गृ.नि.स.स.
2.	जगदम्बा नगर	भैरव गृ.नि.स.स.
3.	जगदम्बा नगर	जय अम्बे कॉपरेटिव सोसायटी
4.	लक्ष्मी नगर	भैरव गृ.नि.स.स.
5.	अशोक नगर	हथरोई गढी गृ.नि.स.स.
6.	गणेश नगर	गणपति गृ.नि.स.स.
7.	गणेश नगर विस्तार	गणपति गृ.नि.स.स.

वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये-

1. निम्न वर्णित क्षेत्र का पी.टी. सर्वे करवाया जाकर सैक्टर प्लान बनाया जावे।
   बाईपास व कालवाड रोड के चौराहे से और सीकर रेलवे लाईन तक का पश्चिमी भाग, रेलवे लाईन के साथ-साथ नगरीयकरण क्षेत्र व नगरीयकरण सीमा से दक्षिण की ओर कालवाड रोड तक का पूर्वी भाग का सर्वे करवाया जाये, कालवाड रोड व नगरीयकरण सीमा जंक्शन से कालवाड रोड व बाईपास रोड से चौराहे तक का उत्तरी भाग तक का भाग।
2. इस क्षेत्र में पूर्व में जो योजनायें अनुमोदित की गयी हैं। सैक्टर प्लान बनने तक उन सभी को स्थगित रखा जावे जिससे सैक्टर प्लान पर विपरीत प्रभाव नहीं पडे।

(2) विषय :- गुलबिहार गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना दुर्गा कॅलोनी ग्राम चक चहुवास रावलजी का बंधा के अनुमोदन के संबंध में।

जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा और मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तो के साथ किया गया-

1. योजना के मध्य से गुजर रही 25' चौडी रोड को 30' किया गया।
2. अन्य सभी रोडों को मौके के अनुसार 20' अनुमोदित किया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..36वीं....बैठक दिनांक..12-9-02...........
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन B-2 :

विषय:- अपोलो नगर हा.को.सोसायटी की योजना मानव आश्रम कॉलोनी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन ने बताया कि गोपालपुरा मोड पर स्लिप लेन हेतु भूमि अवाप्त की गयी है इसलिए योजना में अवाप्त की गयी भूमि की स्थिति योजना मानचित्र में जोन द्वारा दर्शायी जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 36वीं बैठक दिनांक 12-9-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन 13-4 :

विषय:- एयर पोर्ट बाउन्ड्रीवाल से लगती हुई अनुमोदित 7.5 मीटर की सिक्योरिटी रोड को कम करने के संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि एयर पोर्ट बाउन्ड्री से 7.5 मीटर की सिक्योरिटी रोड यथावत रखी जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 56वीं बैठक दिनांक 12-9-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन B-5 :

विषय :- तहसील सांगानेर ग्राम सवाई गैटोर के आराजी ख०नं० 776/1, 776/2, 786/1 व 786/2 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक नियमितकरण के संबंध में।

समिति के समक्ष वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों को पत्रावली पर सीधे ही आयुक्त जविप्रा को प्रस्तुत किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 36वीं बैठक दिनांक 12-9-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन B-5 :

विषय :- तहसील सांगानेर ग्राम बढ़ाई गैटोर के आराजी ख॰नं॰ 776/1/1, 778/1, 778/2, 778/3, 779/1, 779/2 776/3, 786/1/1 का कुल भूमि 1·29 हैक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक नियमितकरण के क्रम में।

समिति के समक्ष वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकार के प्रकरणों का पत्रावली पर सीधे ही आयुक्त जविप्रा को प्रस्तुत किये जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 36वीं बैठक दिनांक 12-9-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिव शंकर हा.को.ओपरेटिव सो.लि.
2. योजना का नाम : विवेक विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : जगतपुरा
4. सैक्टर नंबर जोन 13-4 :

विषय:- शिव शंकर हा.को.ओपरेटिव सोसायटी लि0 की योजना विवेक विहार ग्राम जगतपुरा के अनुमोदन के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1- भू.सं. 230,223 व भू.सं. 12 व 13ए, 13बी के मध्य की सड़क मौके पर 40-0" जबकि सेक्टर प्लान में इस सड़क की चौडाई 80-0" है इसलिए इस सडक से चौडाई 80-00 रखते हुए दोनो साइड के भूखंडो में से बराबर भूमि ली जावे।

2- योजना के दक्षिण में स्थित सडक की चौडाई 100-0" है जबकि मौके पर सडक की चौडाई 68 फीट व 98 फीट है इसलिए इस सडक की चौडाई 100-0" रखते हुए दोनो साइड के भूखंडो में से बराबर-बराबर भूमि ली जावे।

3- समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भू.सं. 5 व 5ए, के मध्य 20-0" की सडक है उसे 20-0" रखी जावे।

4- भू.सं. 5सी का क्षेत्र मौके की स्थिति के अनुसार रखा जावे। एवं नियमानुसार अधिक क्षेत्रफल की राशी ली जावे।

5- भू.सं. 166 व 167 तथा भू.सं. 2.3.45 के मध्य समिति ने सडक दर्शा रखी है मौके पर यहां अतिक्रमण है इसलिए अतिक्रमण हटाकर 20-0" चौडी सडक प्रस्तावित की जावे।

.....2 -

6· योजना में 100-0" चौड़ी सड़क पर शॉप नं· 24 से 60 साईज 12 x 27 फिट की दुकानें है इसलिए इन दुकानों के सामने 10-0" चौड़ाई का पार्किंग क्षेत्र छोड़ने के बाद ही इनका नियमन किया जाये ।

7· समिति ने पूर्व में पार्क के साथ दुकानें दर्शायी थी जिसका क्षेत्रफल 423·33 व·ग· है इसमें से 80-0" सैक्टर रोड में भूमि जाने के पश्चात् 141·11 व·ग· भूमि शेष रहती है इस क्षेत्र को भी पार्क क्षेत्र में मिलाया जावे ।

8· योजना के उत्तर दिशा की ओर स्थित भूखण्ड सं· 53डी;53ई,53एफ, 53जी में सैटबैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इनको अस्वीकृत किया जावे ।

9· अन्य सड़कें जो 30' से कम चौड़ी हैं उन सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे तथा दोनों साइड़ों के भूखण्ड़ों में से बराबर बराबर भूमि ली जावे ।

10· आनर्स लैण्ड को स्वीकृत नहीं किया जावे ।

11· योजना की सीमा से बाहर के भूखण्ड़ों को अस्वीकृत कियाजावे ।

12· भूखण्ड़ सं· 3,4,5 के पीछे 30-0" चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया जावे ।

13· योजना के भू·सं· 236,237,230,231 में से रेलवे सीमा 50-0" के बाद 80-0" चौड़ी सड़क में आने वाले क्षेत्र को कम किया जावे ।

14· योजना का आवासीय क्षेत्रफल 73·43 % प्रतिशत है जबकि आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रफल को मिलाते हुए 60 प्रतिशत ही अनुज्ञेय है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10/7/99 के अनुसार शिथिलता देते हुये अधिक आवासीय क्षेत्रफल को चिह्नित किया जावे ।

उपरोक्त संशोधन करते हुए योजना को अनुमोदित किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...36वीं...बैठक दिनांक...12-9-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : पथिक भवन गृ॰नि॰स॰स॰
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : 13बी॰13बीए,13बीबी सांगानेर
4. सैक्टर नंबर जोन B-4 : जगतपुरा तह0 सांगानेर के ख॰नं॰
.............) 5 से 10, 16,17,1/204॰2/205,3/206
4/207,5/208,7/210,8/211,9/212,10/213,11/214,12/215 15/216,16/217
17/218,19/19,20/220 व नये खसरा सम्बर 10 से 14,20,25 से 43,46 से
52,54,से 57,10/403

विषय :- पथिक भवन गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना 13बी,13बीए,13बीबी सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य समिति के समक्ष लाये कि सहकारी समिति ने इकरारनामें में उल्लेखित खसराओं की भूमि के अतिरिक्त भूमि पर भूखण्ड योजना में सृजित किये हैं। योजना में 0॰20 हैक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की है इसलिए राजस्थान विद्युत मण्डल की भूमि के संबंध में एफ॰आई॰आर॰ विद्युत निगम द्वारा दर्ज करवाने के संबंध में लिखा जावे। तथा योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया-

1॰ योजना के दक्षिण में सांगानेर टाउन को जाने वाली सड़क की चौड़ाई सैक्टर प्लान के अनुसार 120॰0"" रखी जावे। सड़क की चौड़ाई 120' करने हेतु सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना के मध्य की दूरी 60-0" में आने वाले भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

2॰ योजना के पश्चिम में सैक्टर प्लान के अनुसार 100-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जबकि मौके पर 25 फिट से 36 फिट है इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 100-0" ही रखी जावे। इस प्रकार सड़क के केन्द्र बिन्दु से 50-0" की दूरी में आने वाले भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

3॰ योजना में भूखण्ड संख्या 45 से 51 की साइज योजना मानचित्र के अनुसार नहीं है इसलिए इन भूखण्डों की साइज मौके के अनुसार रखी जावे।

4॰ समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के भू॰सं॰ 1 से 8 व 54 से 61 का ब्लॉक मौके के अनुसार नहीं है। मौके पर इन भूखण्डों का रिडिजायन हो गया है। इसलिए मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।

5॰ भूखण्ड संख्या ए-1 से ए-11 ए-5 से ए-13, ए-13 से ए-16, ए-8 से

बी-17 के मध्य की सड़क को 20-0" किया जावे तथा सड़क हेतु भूमि दोनों साईड के भूखण्डों में से बराबर ली जावे ।

6. ओनर्स लैण्ड की भूमि का नियमन नहीं किया जाये ।

7. योजना में आवासीय क्षेत्रफल 76·47 प्रतिशत है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10/7/99 के संबंध में शिथिलता देते हुये नियमन किया जावे ।

8. समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भूखंड ब्लाक संख्या 67 से 96 मौके की स्थिति के अनुसार नहीं है इसलिए मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड स्वीकृत किये जावे । भूखण्ड संख्या 90 से 97 के सामने खुले क्षेत्र में इन भूखण्डों के सामने 20-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित कर शेष भूमि में उपायुक्त जोन सर्वे करवाकर दुकानों के प्रस्ताव तैयार किये जावे ।

9. भूखण्ड संख्या 20,21,22,23,24, के पीछे प्रस्तुत योजना मानचित्र में 20·0" सड़क प्रस्तावित है इसलिए इन भूखण्डों के पीछे 20·0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित की जावे ।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त 30-0" से कम चौड़ी सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 36वीं बैठक दिनांक 12-9-2002
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: पथिक भवन गृ॰नि॰स॰स॰
2.	योजना का नाम	: स्कीम नं॰ 15ए
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	: खोखावास ख॰नं॰ 206 से 216,220,224 से 228 हाल खसरा नम्बर 3659,3660,3661
4.	सैक्टर नंबर ज़ोन B-6	

विषय :- पथिक गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना स्कीम नं॰ 15ए के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति के खातेदार के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुये। उन्होंने समिति के सदस्यों को बताया कि इकरारनामे के अनुसार 2800·00 व॰ग॰ भूमि के आबंटन पत्र समिति ने उन्हें नहीं दिये हैं इसलिए समिति से 2800·00 व॰ग॰ के भूखण्डों के आबंटन पत्र उन्हें दिलवाये जावे। समिति ने विचार-विमर्श कर दोनों पक्षों को सुनने हेतु आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 36वीं बैठक दिनांक 12-9-2002 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	श्री अशोक तंवर, विधायक	सदस्य
2.	श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य	सदस्य
3.	श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व, जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
6.	श्री ओ.पी.यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
7.	श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती आशा अवस्थी,कार्यवाहक वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक,(बीपीसी),जविप्रा,जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
6. श्रीमती सीमा सिंह,उपायुक्त जोन बी-2,जविप्रा,जयपुर।
7. श्री रमेश चन्द शर्मा, उपायुक्त जोन बी-4, जविप्रा,जयपुर।
8. श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
9. श्रीमती सुषमा अरोडा, उपायुक्त जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री निरंजन खींचा, उपायुक्त, जोन लालकोठी, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री एस.सी. मीणा, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी,जविप्रा,जयपुर।
12. श्री हरकीरत सिंह, उपरजिस्ट्रार(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
13. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, लालकोठी, जविप्रा,जयपुर।
14. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1, जविप्रा,जयपुर।
16. श्री ज.ना. वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-6, विप्रा,जयपुर।